बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या—11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)—20/2016.... ति. ने. न०वि०आ०वि०,पटना, दिनांक—11.09.17 बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा—11 सह पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमवाली, 2014 के नियम—11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्द्वारा आरा आयोजना क्षेत्र का, महायोजना एवं अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके कार्यान्वयन एवं अन्य नियमानुकूल कार्रवाई के लिए, आयोजना प्राधिकार का गठन करती है, जो "आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार" के नाम से जाना जायेगा और यह निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगा: —

(i)	गागास्त्रीय भागस्य गर्ना गांस्त्र मन्त्र				
(i)	प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना	_	अध्यक्ष		
(ii)	जिलाधिकारी, भोजपुर, आरा	—	उपाध्यक्ष		
(iii)	मुख्य नगर निवेशक, नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन संगठन	_	सदस्य		
	या उनका प्रतिनिधि				
(iv)	नगर आयुक्त, नगर निगम आरा	_	सदस्य		
(v)	उप विकास आयुक्त, आरा		सदस्य		
(vi)	अपर समाहर्ता (राजस्व), भोजपुर, आरा	_	सदस्य		
(vii)	सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता,	_	सदस्य		
	पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, आरा				
(viii)	सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता,		सदस्य		
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, आरा				
(ix)	सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता,	_	सदस्य		
	ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, आरा				
(x)	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो से अनाधिक वैसे व्यक्ति	_	सदस्य		
	जिन्हें नगर निवेशन का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो				
(xi)	नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोइलवर	_	सदस्य		
(xii)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, आरा आयोजना क्षेत्र प्राधिकार	•	सदस्य सचिव		
	उपरोक्त उपकंडिका (x) में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम नगर विकास	एवं 3	गवास विभाग		
द्वारा अधिसूचित किये जारेंगे।					

- 2. अनुमण्डल पदाधिकारी, आरा, इस आयोजना प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी— सह–सदस्य सचिव होंगे। तत्काल अनुमण्डल पदाधिकारी, आरा का कार्यालय इस प्राधिकार का कार्यालय होगा।
- 3. यह प्राधिकार अपने कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 में विहित शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपार्टी के आदेश से

11/9/2017 (चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक —11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)—20/2016...**8.2.}.....** न०वि०आ०वि०,पटना, दिनांक—11-9-13-प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई—गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 200 प्रतियों कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

प्रधान सचिव.

प्रधान सचिव.

Government of Bihar Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No.-11/निविव / मार्ज्सिन (आठक्षेव)—20 / 2016. **828**../UD&HD, Patna, dated. 11: 59:17—in exercise of the powers conferred by Section - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule - 11 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar, hereby constitutes the Planning Authority, which shall be known as "Arrah Planning Area Authority" to prepare Master Plan and other Development Plans of Arrah Planning Area, its implementation and for other lawful actions, and it shall be constituted consisting of the followings:-

(i)	Divisional Commissioner, Patna Division, Patna		.	
(ii)	District Magistrate, Bhojpur, Arrah	-	Chairman	
(iii)	Chief Town Planner or representative,	- V1	- Vice Chairman	
	Town and Country Planning Organisation	-	Member	
(iv)	Municipal Commissioner, Arrah Municipal Corporation			
(v)	Deputy Development Commissioner, Arrah	•	Member	
(vi)	Additional Collector (Revenue), Arrah	-	Member	
(vii)	Executive Officer, Nagat Panchayat Koilwar	Mem	Member	
(viii)	Concerned Executive Engineer,	-	Member	
	Road Construction Department, Road Division, Arrah	-	Member	
(ix)	Concerned Executive Engineer,			
` ,		-	Member	
(x)	Public Health Engineering Department, Public Health Division, Arrah Concerned Executive Engineer,			
,	Rural Works Department, Works Division, Arrah	-	Member	
(xi)	Persons who possess special law 1.1			
,	Persons who possess special knowledge or practical	-	Member	
	experience in town planning appointed by State			
(xii)	Government not exceeding two	•		
	Chief Executive Officer,	- Member Secretary		
	Arrah Planning Area Authority			
1	Names of persons mentioned in sub clause (xi) shall be notified by the	Urban D	evelonment	
2 oparament.				
2	Sub Divisional OCC			

- 2. Sub Divisional Officer, Arrah shall be the Chief Executive Officer cum Member Secretary of this Planning Authority. Office of the Sub Divisional Officer, Arrah shall be the office of the Authority at present.
- 3. The Authority shall exercise the powers prescribed in the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 and the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014 for execution of its duties.

This notification will come into force at once.

By the order of the Governor of Bihar,

(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

> 11/9/2017 Principal Secretary,

Principal Secretary, 4